ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता देवी	01.04.2013 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र कुमार	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में अन्तर	1.07
2	5.2	पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करना	––
3	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
4	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	3.46
5	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	1.49
6	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	36.10
7	11	संदिग्ध व्यय	4.48
8	12	बिल की छायाप्रति पर किया गया संदिग्ध व्यय	0.20

9	13.1	निविदाओं के बिना किया गया अनियमित **क्रय**	2.58
10	13.2	मनरेगा में निविदाओं के बिना किया गया अनियमित **व्यय**	22.03
11	17	पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतान	0.01
12	18	मनरेगा कार्डधारकों को सम्पूर्ण रोजगार उपलब्ध न करवाना	––
13	20	**माप पुस्तिका** में कार्य को दर्ज किए बिना संदिग्ध व अनियमित भुगतान	0.85

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02/09/2016 से 12/09/2016 तक ग्राम पंचायत कोठी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 02/2014, 05/2014, 02/2016 व 01/2014, 05/2014, 02/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः– ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–190 दिनांक 12/09/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :– पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1:– स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	14770	0	14770	0	14770
2014—15	14770	0	14770	0	14770
2015—16	14770	1866 (ब्याज)	16636	0	16636

4.2:— अनुदानः— ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1 तथा 2** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	2438211	4714255	7152466	4397962	2754504
2014—15	2754504	4057338	6811842	3381020	3430822
2015—16	3430822	2808654	6239476	2629442	3610034

5 बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियांः—

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में 1.07 लाख का अन्तर :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1,06,545/— का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है।

क्र	खाता			अन्त शेष
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः—			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			16636
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			3610034
			कुल योग (क):	**3626670**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	16307	16636
2	खाता 'क' व 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	3311	2133022
3	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	7963	0
4	हरियाली—अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	3316	88261
5	हरियाली—लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	6309	159437
6	अटल/राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2224	61165
7	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2223	43963

8	13वां वित्तायोग (जिला परिषद्)	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2230	99532
9	13वां वित्तायोग (बी डी सी)	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2229	110538
10	मुख्यामन्त्री ग्राम पथ योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2227	47817
11	राहत निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2226	35005
12	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2233	114646
13	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2235	112253
14	टी एस सी (बी डी सी)	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2232	14143
15	टी एस सी (पंचायत)	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2234	9803
16	स्वजल धारा	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2231	89333
17	स्वजल धारा–लाभार्थी अंशदान	यूको बैंक घुमारवीं	17043	35457
18	गुरू रविदास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	2225	90502
19	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	4394	1416
20	आई डबल्यू एम पी	कैनरा बैंक घुमारवीं	0419	735
21	आई डबल्यू एम पी–लाभार्थी अंशदान	एच डी एफ सी बैंक घुमारवीं	4395	2710
22	स्वच्छ भारत अभियान	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	6668	253542
23	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेष			209
			कुल योग (ख):	**3520125**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				**106545**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 **पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–** ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधि के लिए खाता 'क' हि• प्र• रा• स• बैं• की घुमारवीं शाखा में खाता संख्या 16307 से खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। यह स्थिति **परिशिष्ट '1'** में दी गई पंचायत के स्वयं संसाधनों

की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर स्वयं स्पष्ट हो जाती है। अंकेक्षणावधि के दौरान इस खाते में वर्ष 2015/16 के दौरान जो ₹1866/– की आय दर्शाई गई है वह बैंक खाते में अर्जित ब्याज है। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि॰ प्र॰ रा॰ स॰ बैं॰ की घुमारवीं शाखा में खाता संख्या 11010103311 जो कि पंचायत निधि का खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियम विरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः– ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

6.1(क) नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः– हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में अठारह अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन अठारह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः– लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां प्रचायत प्रधान हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत कोठी में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग अठारह रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 **नियमों के विरूद्ध बाईस बैंक बचत खातों का खोला जानाः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित बाईस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन बीस अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 **खाता 'ख' के ₹3.46 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–** हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹3,45,957/– खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह / वर्ष						कुल ब्याज
	9 / 2013	3 / 2014	9 / 2014	3 / 2015	9 / 2015	3 / 2016	
3311	25930	27495	32955	39656	41917	38327	206280
7963	1721	1152	704	315	72	12	3976
3316	7124	2911	2880	2420	1828	1738	18901
6309	2573	2733	2811	2908	3027	3135	17187
2224	658	545	365	345	446	554	2913
2223	857	2027	1051	921	847	889	6592
2230	312	1089	1844	1871	1918	1957	8991
2229	1968	1997	2048	2077	2131	2173	12394
2227	851	864	886	899	922	940	5362
2226	623	632	648	658	675	688	3924
2233	2041	2071	2124	2155	2210	2254	12855
2235	1999	2028	2080	2110	2164	2207	12588
2232	252	255	262	266	273	278	1586
2234	175	177	182	184	189	193	1100
2231	1558	1581	3184	1828	1722	1756	11629
17043	625	647	650	674	676	701	3973
2225	0	1065	2627	3392	2714	2376	12174
4394	0	0	1334	27	27	28	1416
0419	0	0	0	383	16	15	414
4395	0	0	4	51	52	53	160
6668	0	0	0	0	0	1542	1542
कुल योग	**49267**	**49269**	**58639**	**63140**	**63826**	**61816**	**345957**

6.4 **क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–** हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण

करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–**

7.1 **नियमानुसार निवेश न करनाः–**हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 **निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 **बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **पंचायत राजस्व ₹1.49 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–** पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कोठी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित

उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹1,49,200/– की वसूली शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013–14 में 992, 2014–15 में 1053 तथा 2015–16 में 1053 परिवारों के लिए ₹50/– प्रति परिवार की दर से

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु ष्शेष राशि**
2013–14	134450.00	49000.00	184050.00	134450.00	49000.00
2014–15	49600.00	52650.00	102250.00	0.00	102250.00
2015–16	102250.00	52650.00	154900.00	5700.00	149200.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 **अनुदान की राशि ₹36.10 लाख का अवरोधनः–** पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹36,10,034/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 **बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹ 4.48 लाख का संदिग्ध व्ययः–** हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹4,47,526/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा

कम्पयूटर पर टाइप किए/हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर ही भुगतान करते हुए अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 **बिल की छायाप्रति पर ₹20,000/— का संदिग्ध एवं अनुचित भुगतानः—** रोकड़ बही के पृष्ठ 8 पर दिनांक 3.2.2016 को ₹20,000/— भुगतान मै॰ सिपला ट्रेडिंग कं॰ घुमारवीं के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की जांच में पाया गया इसमें आपूर्तीकर्ता के मूल बिल के स्थान पर भुगतान बिल की छायाप्रति पर किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छायाप्रति पर किया गया भुगतान मान्य नहीं है तथा मूल बिल के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **निविदा सम्बन्धी अनियमितताएंः—**

13.1 **निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.58 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,58,412/— के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (रु)
	सामान्य निधिः			
1	31.1.14	92	रेत व बजरी	43750
2	31.1.14	92	चाय जलपान इत्यादि	4100
3	10.10.14	116	रेत, बजरी, ईंट व पत्थर	12000
4	25.2.16	9	रेत, बजरी व पत्थर	48100
	हरियाली			
5	1.6.13	57	सरिया	6972
6	18.7.13	59	रेत व बजरी	10775
7	26.7.13	59	रेत व बजरी	18850
8	7.8.13	60	पत्थर	9000
9	17.9.14	65	पत्थर	3150
10	27.9.14	65	पत्थर	6930
	गुरू रविदास सुख सुविधा उन्नयन योजना			
11	12.11.14	03	रेत व बजरी	50000
	आई. डबल्यू. एम. पी.			
12	8.9.14	02	पत्थर	22785
13	18.12.14	02	पत्थर	22000
			कुल योगः	**258412.00**

13.2 मनरेगा के अधीन बिना निविदाएं प्राप्त किए क्रय की गई निर्माण सामग्री ₹22.03 लाख का अनियमित व्ययः— मनरेगा के अन्तर्गत किए गए व्यय के स्न्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई व्यय विवरणी के अनुसार अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक के तीन वर्षों में पंचायत द्वारा कुल ₹55,07,884/— (2689771+1995028+823085) का व्यय किया गया है। मनरेगा नियमों के अनुसार इसमें से 40 प्रतिशत ₹22,03,153/— का व्यय निर्माण सामग्री की खरीद पर किया गया है। अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि इस व्यय को करने से पूर्व हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में प्रावधित निविदा सम्बन्धी कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई है। अतः यह व्यय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.3:– एकत्र की गई निविदाओं में औपचारिकताओं को पूर्ण न करना:– पंचायत लेखाओं तथा वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि जिन प्रकरणों में स्टॉक खरीदने से पूर्व निविदाएं एकत्र की भी गई हैं उनमें भी सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1) खरीद के औचित्य को स्पष्ट करते हुए कोई मांगपत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।
2) सम्भावित विक्रेताओं/आपूर्तीकर्ताओं को निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार आपूर्ती की शर्तों को स्पष्ट करते हुए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।
3) संलग्न निविदाओं के लिए कोई तुलनात्मक विवरणी तैयार तथा अनुमोदित नहीं की गई है।
4) आपूर्तीकर्ता को सामान भेजने हेतु कोई आपूर्ती आदेश जारी नहीं किया गया है।
5) एकत्र की गई किसी भी निविदा में प्रस्तुत करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में निविदाएं एकत्र भी की गई हैं वह मात्र खानापूर्ती के लिए किया गया है न कि नियमों की अनुपालना तथा बाजारी प्रतिस्पर्धा का वास्तविक लाभ उठाने हेतु। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करना:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा समस्त बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 रसीदों से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

15.1:– एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोग:– लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ तेरह रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	मद
1	12801—900	सामान्य निधि
2	48001—900 (9 रसीद बुकें)	गृहकर
3	49001—49100	मनरेगा
4	49401—49500	हरियाली
5	49301—400	सामान्य निधि

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

15.2:— **दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः—** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लॉटरी की टिकटों हेतु ₹1000/— का अनुचित भुगतानः—** पंचायत निधि के खाता 'क' की रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 03 पर दिनांक 23—11—2015 को ₹1000/— का भुगतान जिला रैड क्रॉस सोसायटी बिलासपुर के वर्ष 2015 के रैफरल ड्रॉ की टिकट संख्या 54926 से 54975 की 50 टिकटों के विरूद्ध ₹20/— प्रति टिकट की दर से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **पंचायत प्रधान द्वारा पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतानः—** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (आई) के अनुसार पंचायत निधि के खाता 'क' में से पंचायत की गतिविधियों के प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिवर्ष ₹2000/— तक का व्यय किया जा सकता है। ग्राम पंचायत कोठी के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 83 पर दिनांक 19/10/2013 को ₹1000/— का भुगतान 'दैनिक भास्कर' समाचार पत्र को 15/8/2015 को स्वतन्त्रता दिवस संस्करण में तत्कालीन पंचायत प्रधान की फोटो छपवाने के बदले में किया गया है न कि किसी भी प्रकार की पंचायत गतिविधियों का प्रचार करने के लिए, जिस कारण से यह विज्ञापन किसी

भी प्रकार से पंचायत निधि पर उचित प्रभार न हो कर पंचायत प्रधान का व्यक्तिगत व्यय है। अतः इस अनुचित व्यय की सम्बन्धित व्यक्ति से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः—

18.1ः— मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः— ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18.2 कार्डधारकों को कानून के अनुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाने बारेः— पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा **परिशिष्ट '3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में मनरेगा कार्डधारकों से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कुल 663 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के विरूद्ध कुल 26532 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जो कि मनरेगा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों/गारंटी से 39768 दिन कम है। इस सन्दर्भ में पंचायत द्वारा परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता तथा मनरेगा अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं गहन जांच हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18.3ः— वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखावः— मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्य विशेष के लिए अलग—अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया

मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.4 **सोशल ऑडिट न करवाने बारेः—** भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पत्र संख्याः 11060/3/2009—नरेगा, दिनांक 01—09—2009 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचायत द्वारा मनरेगा निधि से निजी भूमी पर करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों का पर्यवेक्षण ग्राम सभा द्वारा बनाई गई सोशल ऑडिट कमेटी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी में सोशल ऑडिट कमेटी के गठन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा सम्बन्धी उपरोक्त दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई है। पंचायत द्वारा करोड़ों रुपये के सैंकड़ों विकास कार्य मनरेगा के अन्तर्गत निजी भूमि पर करवाए गए हैं परन्तु सोशल ऑडिट कमेटी के अभाव में इन कार्यों तथा उन पर किया गया व्यय संदेह के दायरे में आ जाते हैं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—** ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के निर्माण कार्यों नमूना अंकेक्षण जांच हेतु निम्नलिखित कार्य चयनित किए गए थेः—

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	एम बी संख्या	स्वीकृत राशि(रु)	कुल व्यय (रु)
1	पन्याला से जोल पलाकीं तक सड़क निर्माण	3436 दि. 17.9.13	5742 व 3173	209472	100562
2	धर्मदास पुत्र बंसी राम के लिए भू—सुधार	6018 दि. 3.10.12	5742	65460	65114
3	गांव बड्डू में देवराज के घर के पास रास्ते का निर्माण	10259 दि. 4.3.14	6858	136000	135626
4	अमर सिंह पुत्र निहालू के लिए भू—सुधार	10259 दि. 4.3.14	6858	87350	85416
5	सतीश कुमार पुत्र मुन्शी राम के लिए टैंक निर्माण	11159 दि. 2.12.15	6858	97500	97004

उपरोक्त निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः—

19.1:— इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.2:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.3:– निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन स्टॉक रजिस्टर में किया तो गया है परन्तु यह नियमानुसार नहीं है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.4:– मापन पुस्तिकाओं में कार्य समापन दिनांक तथा कार्य पूर्ण होने के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक अन्य प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

19.5:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च्व तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख तथा मापन पुस्तिकाओं में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यविधि में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

20 माप पुस्तिका (MB) में कार्य को दर्ज किए बिना ही ₹85416/– का संदिग्ध व अनियमित भुगतानः– गत पैरा में जांचे गए कार्यों की विवरणी के क्रमांक 4 पर दर्ज कार्य 'अमर सिंह पुत्र निहालू के लिए भू–सुधार' में एम बी 6858 के पृष्ठ 42 पर ₹85416/– का भुगतान तो दर्ज

किया गया है परन्तु इस कार्य में किए गए कार्य की प्रमात्रा (Record Entries) का दिनांकवार ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण से यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस सन्दर्भ उच्चस्तरीय विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा किसी अनियमितता की दशा में इस राशि की वसूली दोषी से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः—** पंचायत द्वारा प्रतिमाह इसके अधीन कार्य कर रही सिलाई अध्यापिका तथा जलरक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार का वेतन/मानदेय रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **स्टॉक रजिस्टरों के रख—रखाव में त्रुटियांः—**

22.1:— **क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः—**सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग—अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कोठी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तीकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उससे सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग—अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग—अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः— हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः— हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रेक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1) ; – इद्ध
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविश्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 विविध अनियमितताएः—

24.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निश्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

24.2:– निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

24.3:– पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

26 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(12) 13/2016–खण्ड–1–1176–1179 दिनाँकः20.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड घुमारवीँ, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीँ, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.